संख्या-16/2021/-आई/109314/2021-फा0नं0-10-22099/190/2020-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त वित्त नियन्त्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2021

विषयः- प्रकल्पित वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश दिनांक 18-07-2017 एवं दिनांक 04-09-2017 के सन्दर्भ में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कई कार्यालयों द्वारा शासनादेश दिनांक 04-09-2017 के साथ संलग्न केन्द्र सरकार के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 06-07-2017 के प्रस्तर-4 को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि प्रकल्पित वेतन निर्धारण में विभिन्न वेतन आयोगों द्वारा निर्धारित वेतन पुनरीक्षण के फार्मूले के अनुसार निर्धारित होने वाले प्रकल्पित मूल वेतन एवं संलग्न तालिकाओं में वर्णित प्रकल्पित मूल वेतन में यदि भिन्नता है, तो फार्मूले के अनुसार निर्धारित होने वाले प्रकल्पित मूल वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 18-07-2017 एवं शासनादेश दिनांक 04-09-2017 के अनुसार दिनांक 01-01-2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण किये जाने में उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-16/2021/संख्या-आई/109314/2021-फा0नं0-10-22099/190/2020-22, **तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।